रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276241
CG-DL-E-16092026-276241

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 725] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948
No. 725] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 793(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावोंयदि कोई हो ,, को अपर सचिव एमवीएल),परिवहन और सड़क सुरक्षा(, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल : comments-morth@gov.inपर भेजा , जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा-उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे। 2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, में 1989, नियम 115-घ के पश्चात्, निम्नलिखित नया नियम 115-घक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

115-घक मोटर वाहनों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण का रेट्रो फिटमेंट।-

1. 3500 किलोग्राम से अधिक सकल वाहन भार वाले और संपीड़न प्रज्वलन इंजन से युक्त श्रेणी (इगनिशन) समय पर-का रेट्रोफिटिंग समय (आरईसीडी) एम और एन के मोटर वाहनों में रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइसयथा संशोधित एआईएस-228 की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।

[फा. सं. आरटी-11036/107/2020-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 889(अ), दिनांक 16 सितंबर,2020 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांकित .... द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2026

G.S.R. 793(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles .... Amendment) Rules, 2026.

2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of publication of these rules.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, after rule 115-D, the following new rule 115-DA shall be inserted, namely:

“115-DA. Retro-fitment of Emission Control Device to Motor Vehicles. -

1. The retro-fitment of Retrofit Emission Control Device (RECD) to motor vehicles of categories M and N having Gross Vehicle Weight exceeding 3500 kg and equipped with a Compression Ignition engine shall conform to the requirements of AIS-228, as amended from time to time."

[F. No. RT-11036/107/2026-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 889(E), dated the 16th September, 2020, and lastly amended vide Notification number

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.09.16 16:07:54 +05'30'